भारत सरकार
ग्रामीण विकास मंत्रालय
ग्रामीण विकास विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 793
(7 फरवरी, 2023 को उत्तर दिए जाने के लिए)

महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (मनरेगा) के अंतर्गत कम मजदूरी

793. श्री जगन्नाथ सरकार:

क्या **ग्रामीण विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को जानकारी है कि कई राज्यों में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (मनरेगा) के तहत प्रदान की जा रही मजदूरी दर बाजार दर से काफी कम है, जिससे सुरक्षा नेट के रूप में कार्य करने का इसका उद्देश्य विफल हो रहा है , यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस दिशा में क्या कदम उठाए गए हैं;

(ख) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि एक रिपोर्ट के अनुसार आवेदन प्रक्रिया में जटिलता के कारण महिलाओं को मनरेगा के तहत काम करने के लिए आवेदन करने में परेशानी का सामना करना पड़ रहा है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर
ग्रामीण विकास राज्य मंत्री
(साध्वी निरंजन ज्योति)

(क): महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (महात्मा गांधी नरेगा) , 2005 की धारा 6(1) के अनुसार केन्द्र सरकार अधिसूचना द्वारा योजना के लाभार्थियों के लिए अकुशल कार्य की मजदूरी दर निर्धारित कर सकती है। तदनुसार ग्रामीण विकास मंत्रालय राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के लिए प्रत्येक वित्तीय वर्ष में महात्मा गांधी नरेगा की मजदूरी दर अधिसूचित करता है। महात्मा गांधी नरेगा कामगारों को महंगाई की भरपाई के लिए ग्रामीण विकास मंत्रालय कृषि श्रमिकों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (सीपीआई-एएल) में बदलाव के आधार पर प्रत्येक वित्तीय वर्ष मजदूरी दर

में संशोधन करता है। यदि किसी राज्य की परिक लित मजदूरी दर पिछले वित्तीय वर्ष की तुलना में कम आती है तो इसे पिछले वित्तीय वर्ष की मजदूरी दर रखकर ही सुरक्षित रखा जाता है। संशोधित मजदूरी दर प्रत्येक वित्तीय वर्ष की अप्रैल की पहली तारीख से लागू होती है। तथापि , राज्य सरकारें महात्मा गांधी नरेगा के अंतर्गत केन्द्र सरकार द्वारा अधिसूचित मजदूरी दर से अधिक मजदूरी दे सकती है।

(ख): मंत्रालय को ऐसे किसी मुद्दे की जानकारी नहीं है।

(ग): विगत तीन वित्तीय वर्षों और वर्तमान वित्तीय वर्ष 2022-23 (03.02.2022 की स्थिति के अनुसार) के दौरान महात्मा गांधी नरेगा योजना के अंतर्गत महिलाओं की भागीदारी दर (कुल में से महिला श्रम दिवस प्रतिशत में) निम्नानुसार है:

वित्तीय वर्ष	**2019-20**	**2020-21**	**2021-22**	**2022-23**
महिला भागीदारी दर (%)	54.78	53.19	54.78	56.64

(नरेगासॉफ्ट के अनुसार)